सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2023/286 दर्ज तिथिः–18.08.2023

1. मेहराराम पुत्र टीकमाराम
2. सवाराम पुत्र टीकमाराम
3. करनाराम पुत्र टीकमाराम
4. अमीया पत्नी टीकमाराम

जाति कलबी निवासी मघा की ढाणी, खारवा तहसील गुड़ामालानी गुड़ामालानी–बाड़मेर

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. हंजारीराम पुत्र जोधाराम
2. सदाराम पुत्र मनाराम
3. थानाराम पुत्र मनाराम
4. लक्ष्मणाराम पुत्र मनाराम
5. शंकराराम पुत्र मनाराम
6. सावलाराम पुत्र जोधाराम
7. नानजीराम पुत्र जोधाराम
8. हेमीदेवी पत्नी जोधाराम
9. गंगदाराम पुत्र मालाराम

   जाति कलबी निवासी मघा की ढाणी, खारवा तहसील गुड़ामालानी गुड़ामालानी–बाड़मेर
10. शाखा प्रबंधक बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा धोरीमना जिला बाड़मेर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री गंगाराम चौधरी
प्रतिवादीगणः– एकतरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–251ए
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

–ःनिर्णयः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.24 18:34:06 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय तिथिः—23.08.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी 678 / 8.2799 है. वाके ग्राम मघा की ढाणी तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। प्रार्थी की आराजी तक पहुँच के प्रयोजन के लिए अप्रार्थी संख्या 09 की खातेदारी आराजी हाल खसरा संख्या 802 / 801 / 6.4224 है. वाके ग्राम मघा की ढाणी तहसील गुड़ामालानी से होते हुए आवागमन करते आए हैं। परंतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी में फसल करने से प्रार्थी का रास्ता अवरूद्ध हो जाता है। इससे रास्ते को लेकर भारी विरोध रहता है एवं झगड़े की संभावना बनी रहती है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी की आराजी तक वर्तमान में कोई रिकॉर्डेड रास्ता चालू नहीं है। अतः खसरा संख्या 802 / 801 / 6.4224 है. वाके ग्राम मघा की ढाणी तहसील गुड़ामालानी के सेढे से होकर प्रार्थी की आराजी तक नवीन रिकॉर्डेड रास्ता हेतु अनुतोष चाहा गया है। अंत में प्रार्थी की आराजीयात तक कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम मार्ग का विकल्प नहीं होने के कारण उक्त आवेदित रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

जवाब / मौका रिपोर्ट

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के विधिवत तामील होने के उपरांत भी हाजिर न्यायालय नहीं होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी से हाजा कार्यालय के पत्रांक / वाद / 2023 / 927 दिनांक 18.08.2023 द्वारा राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम—1955 के नियम—68 लगायत 70 के अनुसार मौका जॉच रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2023 / 1255 दिनांक 12.09.2023 के अनुसार प्रेषित मौका रिपोर्ट तैयार करने में अपनायी गई प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or	भू—अभिलेख द्वारा मय पटवारी स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॅार्ट तैयार की गई।
get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records	प्रकरण में दिनांक 03.04.2024 को भू—अभिलेख द्वारा मय पटवारी स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॅार्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की	1. प्रकरण में समस्त प्रार्थीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 414 दिनांक 21.03.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 12.04.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.24 18:34:06 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त अप्रार्थीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 415—437 दिनांक 21.03.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 12.04.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

3.

जिरह—प्रार्थी

4. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की जिरह सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने—ए—जिरह निम्न प्रकार निवेदन किया किः—

- प्रार्थी की खातेदारी खसरा संख्या 678 वाके ग्राम मघा की ढाणी तक पहुंच हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।
- प्रार्थीगण ने खसरा संख्या 802 / 801 के खातेदार को समझाइश द्वारा रास्ते हेतु भूमि समर्पण करवा कर रास्ता कायम करवा लिया।
- अब वर्तमान में प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 678 में से खसरा संख्या 678 तथा 698 की सीमा के सहारे रास्ता कायम करने के अनेक खातेदारों को रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। अतः प्रार्थी की खातेदारी आराजी में से रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया है।

5. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार की मौका—रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है—

> ***251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way.*** *- (1) Where -*
>
> *(a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or*
>
> *(b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that*
>
> *(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and*
>
> *(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.24 18:34:06 IST
Reason: SelfAttested

*surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted or in lieu of payment of compensation, on transfer of land in exchange of equal area in the name of such tenant **preferably** having the same price and adjoining to his land.*

(2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records.

(3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.

5. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है—

***68. Application under Sec. 251-A.** - An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.*

***69. Enquiry and disposal of application.** - On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-*

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

***70. Determination of compensation.** - (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-*

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.24 18:34:06 IST
Reason: SelfAttested

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined.

6. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 12.09.2023 की मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थी द्वारा केवल खसरा संख्या 802 / 801 में से रास्ते हेतु आवेदन किया है। प्रार्थीगण ने खसरा संख्या 802 / 801 के खातेदार को समझाइश द्वारा रास्ते हेतु भूमि समर्पण करवा कर रास्ता कायम करवा लिया। अब वर्तमान में प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 678 में से खसरा संख्या 678 तथा 698 की सीमा के सहारे रास्ता कायम करने के अनेक खातेदारों को रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। अतः प्रार्थी की खातेदारी आराजी में से रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया है। इस प्रकार प्रार्थी के खसरा संख्या 678 में से उक्त रास्ता प्रस्तावित करने से इससे आगे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कट्टान मार्ग से जुड़ता है जिससे आठ–दस खसरे कट्टान मार्ग से आपस में जुड़ते हैं। जिससे प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 678 में से खसरा संख्या 678 तथा 698 की सीमा के सहारे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं तहसीलदार गुड़ामालानी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 12.09.2023 को प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क काबिल–ऐ स्वीकार है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार गुड़ामालानी की दिनांक 12.09.2023 को प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अवलोकन पश्चात विश्लेषित निष्कर्ष प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.24 18:34:06 IST
Reason: SelfAttested

वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेश दिये जाते है कि दिनांक 12.09.2023 की मौका जॉच रिपोर्ट में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 678 में से खसरा संख्या 678 तथा 698 की सीमा के सहारे प्रार्थी द्वारा आवेदित चौड़ाई में नवीन रास्ते को खाता संख्या–1 सिवायचक में सार्वजनिक उपयोग हेतु किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर अंकन किया जावें। दिनांक 12.09.2023 की मौका जॉच रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 23.08.2024 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.24 18:34:06 IST
Reason: SelfAttested